डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि-नु-प /04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2004—अग्रहायण 10, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

क्र. 6156-345-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 12 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् २००४.

मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन अधिनियम, २००३.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. वृहत् नाम का प्रतिस्थापन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ६ का संशोधन.
५. धारा ७ का संशोधन.
६. धारा १० का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २००४.

मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन अधिनियम, २००३.

[दिनांक १२ मार्च, २००४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ दिसम्बर, २००४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, १९७८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन अधिनियम, २००३ है.

वृहत् नाम का स्थापन. २. मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम, १९७८ (क्रमांक २० सन् १९७८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय स्कूलों के तथा उच्च शिक्षा संबंधी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतनों के संदाय का विनियमन करने तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.".

धारा २ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

धारा ६ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) कोई भी अध्यापक या अन्य कर्मचारी, ऐसी प्रक्रिया के, जैसी कि विहित की जाए, अनुसार के सिवाय पदच्युत नहीं किया जाएगा या सेवा से हटाया नहीं जाएगा या उसकी सेवायें समाप्त नहीं की जायेंगी.".

(दो) खण्ड (क) में, उपखण्ड (चार) का लोप किया जाए.

(तीन) खण्ड (ख) और (ग) का लोप किया जाए.

धारा ७ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ७ में, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" का लोप किया जाए.

धारा १० का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में,—

(एक) उपखण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) धारा ६ के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्ति के लिए विहित की जाने वाली प्रक्रिया.".

(दो) उपखण्ड (च) का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

क्र. 6157-345-इक्कीस-अ (प्रा.).--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 2003 (क्रमांक 13 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2004.

THE MADHYA PRADESH ASHASKIYA SIKSHAN SANSTHA (ANUDAN KA PRADAYA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2003.

TABLE OF CONTENTS

Sectoins :

1. Short title.
2. Substitution of long title.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 6.
5. Amendment of Section 7.
6. Amendment of Section 10.

MADHYA PRADESH ACT

No.13 OF 2004.

THE MADHYA PRADESH ASHASKIYA SIKSHAN SANSTHA (ANUDAN KA PRADAYA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2003.

[Received the assent of the Governor on the 12th March 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 1st December 2004.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Ashashkiya Sikshan Sanstha (Anudan ka Pradaya) Adhiniyam, 1978.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ashaskiya Shikshan Sanstha (Anudan Ka Pradaya) Sanshodhan Adhiniyam, 2003. **Short title.**

2. For the long title of the Madhya Pradesh Ashashkiya Sikshan Sanstha (Anudan ka Pradaya) Adhiniyam, 1978 (No. 20 of 1978) (hereinafter referred to as the Principal Act) the following long title shall be substituted, namely :— **Substitution of long title.**

"An Act to make provision for regulating payment of salaries to teachers and other employees of Non-Government Schools and Non-Government Educational Institutions for Higher Education receiving grant from the State Government and other matters ancillary thereto.".

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act, Clause (b) shall be omitted.

Amendment of Section 6.

4. In Section 6 of the Principal Act,—

(i) in clause (a) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(iii) no teacher or other employee shall be dismissed or removed from service or his services terminated except in accordance with such procedure as may be prescribed.".

(ii) in clause (a), sub-clause (iv) shall be omitted

(iii) clause (b) and (c) shall be omitted.

Amendment of Section 7.

5. In Section 7 of the principal Act, the words "the Competent Authority" shall be omitted.

Amendment of Section 10.

6. In Section 10 of the principal Act,—in sub-section (2),—

(i) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(e) The procedure to be prescribed for dismissal, removal or termination under sub-clause (iii) of clause (a) of Section 6.".

(ii) sub-clause (f) shall be omitted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.